

10<sup>04</sup>/<sub>17</sub>

आवेदक द्वारा अशोक पचौरी द्वारा प्रमाण मूल आवेदनपत्र पर तर्क/विचार एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया जा रहा है -  
प्रमाण मूल आवेदनपत्र पर तर्क/विचार एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दि. 17-04-17 को प्रेषित।

मोहम्मद गिहर

हि. मो. नं. 10/17/17  
गोहद, जिला-मण्ड (म.प्र.)17/4/17  
[Signature]17<sup>04</sup>/<sub>17</sub>

आवेदक द्वारा अशोक पचौरी द्वारा प्रमाण मूल आवेदनपत्र पर तर्क/विचार एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया जा रहा है -  
प्रमाण मूल आवेदनपत्र पर तर्क/विचार एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दि. 19-04-17 को प्रेषित।

मोहम्मद गिहर

हि. मो. नं. 10/17/17  
गोहद, जिला-मण्ड (म.प्र.)19/4/17  
[Signature]19<sup>04</sup>/<sub>17</sub>

आवेदक दिनेश सहित श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण मूल आवेदनपत्र पर तर्क/विचार एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है।

प्रकरण एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया, अवार्ड राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया।

अवार्ड राशि के भुगतान वावत् आवेदनपत्र पर सुना, विचार किया गया।

प्रकरण में आवेदक को क्षतिपूर्ति हेतु खा.दि. 20-12-16 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रुपये



| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer  | Signature of Parties, Pleaders and necessary   |
|-----------------------------|--|--|
|                             | <p>जरिये चैक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के चैक जमा पंजी कं. -06/17 दिनांक 17-02-17 को 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रुपये से नजारात अनुभाग गोहद भेजा गया जो नजारात अनुभाग के पंजीयन क्रमांक 06 दिनांक 18-02-17 पर जमा होकर शेष है।</p> <p>मूल अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण मध्यस्थता की कार्यवाही में राजीनामा के आधार पर आदेश दिनांक 20-12-16 को निराकृत हुआ। आदेश दिनांक 20-12-16 का अवलोकन किया जिसमें राजीनामा के आधार पर अवार्ड पारित करते हुए राशि 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रुपये बीमा कम्पनी द्वारा दो माह के भीतर अदा जमा किये जाने का आदेश दिया गया है। जो राशि जमा होने पर आवेदकगण जो मृतक के विधिक वारिस है, उन्हें उक्त राशि में 70000-70000/- (सत्तर-सत्तर हजार) तीन वर्ष के सावधि जमा खाते (एफडीआर) के माध्यम से जमा कराये जावें। जिन्हें अधिकरण की अनुमति के बिना आहरित नहीं किया जा सकेगा। शेष क्षतिपूर्ति राशि 40000-40000/- (चालीस-चालीस हजार) रुपये बचत खाते के माध्यम से भुगतान की जावे।</p> <p>चूंकि आवेदक दिनेश द्वारा अवार्ड राशि के भुगतान वावत् प्रथक से आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। जो वाद विचार न्यायहित में स्वीकार कर कुल राशि में से आवेदक के हिस्से के क्षतिपूर्ति राशि 1,10000/- (एक लाख दस हजार) रुपये का आदेशानुसार बाउचर तैयार किया जावे।</p> <p>अतः आदेश के पालन में आवेदक दिनेश सिंह बघेल आयु 30 साल पुत्र श्रीपति बघेल निवासी घोसीपुरा मुरार ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0 को उसके हिस्से के अवार्ड राशि 1,10000/- (एक लाख दस हजार) रुपये में से 70000/- (सत्तर हजार) तीन वर्ष के सावधि जमा खाते (एफडीआर) के माध्यम से जमा कराये जावें। जिन्हें अधिकरण की अनुमति के बिना आहरित नहीं किया जा सकेगा। शेष क्षतिपूर्ति राशि 40000/- (चालीस हजार) रुपये बचत खाते के माध्यम से भुगतान की जावे। आदेशानुसार आवेदक का रिफण्ड बाउचर तैयार कर नायब नजिर गोहद की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जावे।</p> <p>मूल अभिलेख प्र.क्रं.-21/16 क्लेम दिनेश सिंह आदि बनाम हिम्मत सिंह आदि खा.दि. 20-12-16 में आदेश की प्रति संलग्न कर अभिलेखागार भिण्ड को वापिस भेजा जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भिण्ड भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> <b>मोहम्मद अजहर</b><br/> सदस्य<br/> द्वि. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण<br/> गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.) </p> | <p style="text-align: right;"> <b>रजिस्ट्रार</b><br/> <b>दि. 21/04/17</b><br/> <b>अ.प्र. नजिर</b><br/> <b>अ.प्र. नजिर</b> </p> |